

प्रेषक

जी०पी० कमल

विशेष सचिव

३०प्र० शासन।

सेवा में

आयुक्त

खाद्य तथा रसद विभाग

जवाहर भवन लखनऊ।

खाद्य तथा रसद अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 18 जनवरी 2018

विषय:-वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान सं०-21 के लेखाशीर्षक - 2408 -खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार-01-खाद्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय (अधिप्राप्ति तथा पूर्ति )के अन्तर्गत प्रथम अनुपूरक के माध्यम से प्रावधानित धनराशि रू० 2110 .00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०-ले०शा०/ 1237/173/2408/ बजट अनु०/2017 दिनांक 16-10-2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में आय-व्ययक के अनुदान सं०-21 के अन्तर्गत प्रथम अनुपूरक के माध्यम से लेखाशीर्षक-2408-खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार-01-खाद्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय(अधिप्राप्ति तथा पूर्ति) के मानक मद 01-वेतन में प्रावधानित धनराशि रू० 2000.00 लाख, 03-मंहगाई भत्ता में रू० 50.00 लाख तथा 09-विद्युत व्यय में रू० 60.00 लाख अर्थात् कुल रू० 2110.00 लाख (रू० इक्कीस करोड दस लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्धारित मदों में ही एवं वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता से संबंधित समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में प्रावधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा ।

3- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान सं०-21 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक -2408-खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार-01-खाद्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय (अधिप्राप्ति तथा पूर्ति )के मानक मद 01-वेतन, 03-मंहगाई भत्ता तथा 09-विद्युत व्यय के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

4- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं0-20/2017/ बी-2-1775/दस-2017-244/2017 दिनांक 27-12-2017 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

जी0पी0 कमल  
विशेष सचिव ।

**सं0- /2017/ 837(1)/29-3-2017-ब 707/16 तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 3- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 4- वरिष्ठ आडिट आफिसर(आडिट प्लानिंग ) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम सत्य निष्ठान भवन, 15 थार्नहिल रोड इलाहाबाद।
- 5- स्थानिक प्रतिनिधि स्थानिक प्रतिनिधि कार्यालय द्वितीय तल 12 ए नेताजी सुभाष रोड कोलकाता।
- 6- कोषाधिकारी काषोगार जवाहर भवन लखनऊ।
- 7- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 उ0प्र0 शासन।
- 8- गार्ड बुक।

आज्ञा से

जी0पी0 कमल  
विशेष सचिव ।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।